(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/2569 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.02.2018 पारित द्वारा तहसीलदार, नजूल बैरागढ़ वृत्त भोपाल प्रकरण क्रमांक 0015/अ-12/17-18.

पुनीत बक्शी आ. स्व. श्री पी.आर. बक्शी
निवासी ई-8, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

एम.वी. नायर पुत्र श्री एम. नायर
निवासी डी-41, ओल्ड मिनाल
रेसीडेंसी जे.के. रोड, इन्द्रपुरी गोविन्दपुरा
भोपाल, म.प्र. .....अनावेदक

श्री सी.एम. विश्वकर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजेन्द्र सोलंकी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/12/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, बैरागढ़ वृत्त भोपाल द्वारा पारित दिनांक 21.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम पीपलनैर तह. हुजूर, भोपाल में स्थित खसरा क्र. 205/1/12 रकबा 0.016 हैक्टेयर ख.क्र. 206/1/3 रकबा 0.109 हैक्टेयर अर्थात् कुल रकबा 0.125 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, बैरागढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 0015/अ-12/17-18 दर्ज कर दिनांक

21.02.2018 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) यह स्पष्ट विधि है कि सीमांकन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है यह कि नवीन नियमों के तहत कोई भी सीमांकन आवेदन राजस्व निरीक्षक के समक्ष चर्तुसीमायें एवं पड़ोसी काश्तकार नाम का उल्लेख कर निर्धारित शुल्क जमा का हवाला देकर आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लेकिन कथित आवेदन राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत न कर तहसीलदार जिसे सीमांकन कार्यवाही हेतु सक्षम नहीं माना गया है, आवेदन प्रस्तुत किया जाता है अन्यथा प्रकरण चलने योग्य नहीं है।

(2) तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक/ग्राम पटवारी को सीमांकन हेतु आदेश जारी करने के लिए अपनी आदेश पत्रिका में धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत अधिकार रहित अंतरिम आदेश पारित किये तथा दिनांक 23.01.2018 को पेशी नियत कर दी गई, लेकिन दिनांक 23.01.2018 को कोई पेशी नहीं दी गई जो आदेश पत्रिका से स्पष्ट है। इस दिनांक को प्रकरण पेशी से गिर चुका था, जिसे पुन: नंबर पर लेने हेतु कोई प्रक्रिया तहसीलदार ने नहीं अपनाई। ऐसी स्थिति में निगरानीधीन सीमांकन प्रक्रियात्मक त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(3) संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन किये जाने का प्रावधान है। सीमांकन पूर्व व्यक्तिश: सरहदी काश्तकारों को सूचना देना आज्ञापक है। अन्यथा सम्पूर्ण सीमांकन की कार्यवाही अवैध ठहराई जाती है। उक्त निगरानीधीन प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा विधि का पालन न करते हुए विधि विपरीत दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर सूचना देना इस बात का द्योतक है कि सीमांकन की कार्यवाही विधि विरूद्ध होकर मिलीभगत का परिणाम है, जिसका उद्देश्य पूर्व से ही पड़ोसी काश्तकारों को सूचना ना होना था। इस संबंध में 2010 आर.एन. 259, 2009(2) छ.रा. जजमेंट 103, 2003(2) आर.एन. 185, 1975 आर.एन. 175, 2012(2) छ.रा. जजमेंट 17, 2004(1) आर.एन. 212 एवं 1998 आर.एन. 106 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(4) अनावेदक की बटान खसरा क्र. 205/1/12 व 206/1/3 की नक्शा में कायम है, उनसे भिन्न सीमांकन, फील्डबुक में चर्तुसीमायें नपती कर वर्णित की गई है, जिससे पश्चिम की ओर

आवेदक की भूमि में अनावेदक के द्वारा चूना डाल दिया, जिसमें आवेदक के हित प्रभावित हो रहे हैं। इस कंडिका की पुष्टि के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत नक्शा एवं फील्डबुक के नक्शे का अवलोकन करने से तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं।

(5) यदि फील्डबुक का अवलोकन किया जाये तो वह काफी गंभीर त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि एसटी-1 एवं एसटी-2 कौन से सीमाचिन्ह हैं, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस स्थान पर कोई मिनारा अथवा पैमाना नहीं है एवं फील्डबुक के अवलोकन में स्पष्ट है क्रॉस चैक भी नहीं किया गया। इससे कब्जा संबंधित भिन्नता आ गई और आवेदक की भूमि में चूना से भूमि चिन्हित कर दी गई, ऐसा सीमांकन गंभीर त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन समस्त हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में टी.सी.एम. मशीन से विधिवत हुआ है तथा उक्त सीमांकन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में इश्तहार भी जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में किया गया प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन विधिवत सीमांकन है। अत: तहसील न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, बैरागढ़ वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर